कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/

उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक– 5561/37–1 : दिनांकः लखीमपुर–खीरीः अप्रैल, 28/2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0,
राहतास "के" ट्राइडेन्ट,
द्वितीय तल, 10, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय :– रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–लखीमपुर खीरी में उत्तरी खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–101 (पलिया–खजुरिया– त्रिकोलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–730 (पीलीभीत–बेतिया–असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से 92.50 एवं राजमार्ग सं0–21 (बिलरायाँ–पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः–1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरणं, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या–3083/11–सी–FP/UP/OTHERS/41408/2019 Date 27-03-2023

2. इस कार्यालय की पत्र संख्या–4228/37–1 दिनांक 20.02.2025।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं अन्य के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित है। संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 27.03.2023 को निर्गत की गयी है। निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को अप्राप्त है।

अतः संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्नकर पूर्व में इस आशय से प्रेषित है कि निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर को लेख किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

(सौरीष सहाय)
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक–5561 /अ–उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(सौरीष सहाय)
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक–5561 /ब–उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, पलिया।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में मौके का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि मौके पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सौरीष सहाय)
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर–खीरी।

D:\Node 4\Surveyor\Latter.doc